

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम लि०/उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू०पी० सीडा, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक: 27 जून, 2024

विषय:- टैक्सफेड समूह के अन्तर्गत उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि०, कानपुर एवं उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर की बन्द पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपीसीडा को निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु इन्वेस्टर्स समिट तथा ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश एवं विदेश के उद्यमियों को आकर्षित करने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी विगत वर्षों में सामने आये हैं। विभिन्न सेक्टरों के उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के संबंध में एम०ओ०यू० किये गये हैं। इन इकाईयों की स्थापना हेतु प्रमुखतः भूमि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भूमि की उक्त मांग को पूर्ण किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के स्तर पर लैण्ड बैंक को बढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2- अवगत कराना है कि शासकीय/अशासकीय देनदारियों के निस्तारण के उपरान्त प्रबंध निदेशक, उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि०, कानपुर के पत्र संख्या- 649/एसएससी/सचिवीय/2023 दिनांक 29.01.2024 द्वारा कंपनी की बाराबंकी इकाई की उपलब्ध 69.86 एकड़ निष्प्रयोज्य भूमि तथा प्रबंध निदेशक, उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर के पत्र संख्या- 389/एसवाईसी/वित्त/2024 दिनांक 18.01.2024 द्वारा कंपनी की 03 कताई मिले क्रमशः मेजा, प्रयागराज (175 एकड़), बांदा (90 एकड़), एवं रसडा, बलिया (57 एकड़) की भूमि को हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- टैक्सफेड समूह के अन्तर्गत उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कं०लि०, कानपुर एवं उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर की बन्द पड़ी कताई मिलों की भूमि के औद्योगिक प्रयोग हेतु हस्तांतरण के संबंध में निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

- (I) उ०प्र० स्टेट स्पिनिंग कंपनी लि० की बाराबंकी इकाई में उपलब्ध 69.86 एकड़ भूमि यूपीसीडा को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
- (II) उ०प्र० स्टेट यार्न कंपनी की इकाईयों क्रमशः मेजा, प्रयागराज (175 एकड़), बांदा (90 एकड़), एवं रसडा, बलिया (57 एकड़) की भूमि यूपीसीडा को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा आडिट (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/न्याय विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।
- 7- मण्डलायुक्त, अयोध्या/आजमगढ़/प्रयागराज/चित्रकुटधाम मंडल।
- 8- जिलाधिकारी, बाराबंकी/प्रयागराज/बांदा/बलिया।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव।